POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2018-20 (RNI. REG. NO 39658/1983) # ग्रा.ग./2019/अंक 12

मासिक प्रेषण दि. 8 दिसम्बर, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

प्रकाशन की तिथि : 01 दिसम्बर, 2019 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम !

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है 'मैं 2022 तक, जब भारत अपनी आजादी की 75वीं सालगिरह मनाए, किसानों की आय को दोगुना करना चाहता हूं।'

उनका यह संकल्प जहां किसानों के लिए एक बड़ी उम्मीद है, वहीं सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। इस स्वप्न को धरातल पर उतारने के लिए केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, कृषि और इससे संबद्ध क्षेत्र के संम्पूर्ण विकास को दृष्टिगत रखते हुए ठोस नीतियों का निर्माण आवश्यक है।

भारत में डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल बढ़ने लगा है। कई जागरूक किसान अपने स्मार्टफोन के जरिए कृषि से सबंधित विभिन्न जानकारियां घर बैठे लेने लगे हैं। इंटरनेट के जरिए खेत में बोई गई फसल के बारे में सम्पूर्ण जानकारी ली जा सकती है। उदाहरण के लिए खेत में किस फसल में कितना पानी देना है, पौधों की दूरी कितनी रखनी है, किस समय खेत में कौनसी खाद कितनी देनी हैं, फसल में किस तरह के रोग का प्रकोप हो सकता है, कीटनाशक की कितनी मात्रा का छिडकाव कर फसल को रोग से बचाया जा सकता है, किसान अपनी पैदावार को कौनसी मंडी में बेच कर अच्छा लाभ ले सकता है। कृषि से संबधित ऐसी कई महत्वपूर्ण जानकारियां किसान अपने स्मार्ट फोन के जरिए लेकर खेती को स्मार्ट बना सकता है।

जरूरत यह है कि सरकार द्वारा इस क्षेत्र में विकसित नई तकनीक उपलब्ध कराई जाए साथ ही किसानों, ग्रामीण युवाओं तथा इससे संबंधित विभाग के कर्मचारियों को संम्पूर्ण प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे डिजीटल तकनीक का प्रभावशाली ढंग से उपयोग कर सकें। इससे किसान आर्थिक रूप से मजबूत होगा। यह सर्वमान्य सत्य है कि कृषि क्षेत्र के विकास से ही देश की अर्थ-व्यवस्था मजबूत हो सकती है।

केस लड़ने के पैसे नहीं तो मिल सकता है मुफ्त वकील

प्रो-बोनो के लिए आवेदन यूं करें

- ***rlsa.gov.in** पर जाकर विधिक सहायता के लिए मंजूरी का आवेदन कर सकते हैं।*
- ***rslsajp@gmail.com** पर आवेदन भेज सकते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण में व्यक्तिगत आवेदन कर सकते हैं।*
- ***nalsa.gov.in** पर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।*

गरीब, निर्धन या असहाय व्यक्ति अपने वाजिब हकों के लिए न्याय पाने से वंचित न रहें। इसके लिए विधिक सहायता को भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। विधिक सहायता के लिए पात्र व्यक्तियों को राज्य के किसी भी न्यायालय में दर्ज होने वाले मामलों में वकील, कोर्ट फीस, गवाह खर्च आदि में से जो भी सहायता विधिक सहायता समिति दिलाना उचित समझे दिलाए जाते हैं।

प्रदेश में विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर 609 वकील प्रो-बोनो सर्विस के तहत करीब 250 मामलों में अपनी मुफ्त सेवाएं दे रहे हैं। प्रो-बोनो सर्विस का अर्थ किसी भी असहाय व्यक्ति जो न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही में विधिक सहायता, सलाह व प्रतिनिधित्व चाहता है उसको अधिवक्ता (वकील) की सेवाएं मुफ्त में उपलब्ध कराना है।

बार-एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता गरीब व असहाय लोगों को विधिक सेवा निःशुल्क देते हैं। राज्य सरकार, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भी पैरवी करने वाले अधिवक्ता को कोई फीस नहीं दी जाती है।

बीमा कंपनी को भारी पड़ा इलाज पर हुआ पूरा खर्चा नहीं चुकाना

मानसरोवर निवासी सुनील मेहता ने यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और विपुल मेडिकार्प के खिलाफ जिला उपभोक्ता मंच, जयपुर में परिवाद दर्ज किया और बताया कि उन्होंने 21 जनवरी 2016 से 21 जनवरी 2017 तक की अवधि के लिए बीमा कंपनी से 15 लाख रुपए का हैल्थ बीमा करवाया था। इसके बाद 21 मई को हार्ट की बीमारी के कारण एक निजी अस्पताल में भर्ती हुआ। अस्पताल में एक लाख 80 हजार रुपए के स्टंट लगाए गए। इसके अलावा अस्पताल के चार्जेज व दवा आदि में एक लाख 40 हजार रुपए अलग से खर्च हुए। इस तरह इलाज में कुल तीन लाख 80 हजार रुपए का खर्चा हुआ। लेकिन बीमा कंपनी ने केवल दो लाख 40 हजार रुपए का भुगतान कर बाकी क्लेम देने से मना कर दिया।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता मंच ने बीमा कंपनी को बीमारी का पूरा खर्च नहीं देने का दोषी माना और बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह परिवादी को एक लाख 40 हजार रुपए नौ फीसदी ब्याज सहित अदा करे । इसके अलावा मंच ने बीमा कंपनी को परिवादी की मानसिक परेशानी के एवज में पांच हजार रुपए और परिवाद खर्च के पांच हजार रुपए अलग से चुकाने का भी निर्देश दिया है।

मुद्रा योजना से बढ़े रोजगार

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कर्ज लेने वाली इकाइयों ने 28 फीसदी नए रोजगार पैदा किए हैं। इस योजना से लाभान्वित इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों की संख्या बढ़कर 5.04 करोड़ हो गई है। योजना के तहत कर्ज लेने से पहले इन इकाइयों में रोजगार पाने वालों की संख्या करीब 3.93 करोड़ ही थी।

मुद्रा योजना की समीक्षा के लिए कराए गए अधिकारिक सर्वेक्षण से यह आंकड़ा सामने आया है। सरकार ने अप्रेल 2015 में छोटे कारोबारियों को कर्ज जरूरत पूरी करने के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण देने वाली यह योजना शुरू की थी। इसका मकसद स्वरोजगार को बढ़ावा देना था।

तकनीक से किसान बढ़ाएं आमदनी

राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि कृषि में नवाचार करके और आधुनिक तकनीक को अपनाकर किसान अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। जयपुर जिले के जोबनेर में कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में किसानों के लिए आयोजित 21 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हुए उन्होंने कहा कि खेती के जरिए ही किसान अपने बच्चों को स्वावलंबी बना सकते हैं।

उन्होंने कहा कि अन्न उत्पादन ही खेती नहीं है। अब खेती के माध्यम से अनेक कुटीर उद्योग और धंधे चलाए जा सकते हैं। जैविक खाद व कीटनाशकों का उत्पादन बढ़ाकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने और पशुपालन से किसानों को जोड़ने के तरीके भी कृषि वैज्ञानिकों को बताने होंगे।

अधर में अटकी किसान सम्मान योजना

किसानों की खस्ताहाल को देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह योजना शुरू की थी। राजस्थान में कुल 51.81 लाख किसान इस योजना के तहत दर्ज हैं। इनमें से 39.95 लाख किसानों को पहली किस्त मिल चुकी है। दूसरी किस्त में यह संख्या घटकर कर 34.06 लाख रह गई है। अब तीसरी किस्त में तो यह संख्या महज 11.75 लाख ही रह गई है।

कहा जा रहा है कि अब तीसरी किस्त देने से पहले इनका सत्यापन नहीं हो पा रहा है। योजना का लाभ लेने के लिए पहले तो जमीन का रेकॉर्ड होना ही किसानों के लिए एक बड़ी समस्या है, वहीं अब योजना से आधार कार्ड को जोड़े जाने की प्रक्रिया भी काफी जटिल है। इससे किसानों को योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है।

स्कूलों में शौचालय है, मगर पानी नहीं?

प्रदेश के 12 हजार स्कूलों में शौचालय तो है, लेकिन हाथ धोने तक के लिए पानी की सुविधा नहीं है। यह शौचालय की उपयोगिता पर सवाल खड़ा कर रही है। यह ही नहीं, 3500 स्कूल ऐसे भी हैं जहां बच्चों के लिए पेयजल उपलब्ध नहीं है। बच्चे या तो घरों से बोतल में पानी ला रहे हैं या उन्हें कक्षा के बीच में पानी के लिए गांव के दूसरे हैंडपम्पों तक दौड़ लगानी पड़ती है।

बुनियादी शिक्षण व्यवस्था की पोल खोलती यह सच्चाई खुद सरकारी रिपोर्ट से ही उजागर हुई है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से हाल ही में जारी की गई डाइस रिपोर्ट 2018-19 से यह चौंकाने वाले हालात सामने आए हैं।

शौचालय की राशि से खरीदे साबुन-तेल

भीलवाड़ा शहर को खुले में शौचमुक्त (ओडीएफ) बनाने के लिए लोगों को शौचालय बनाने के लिए राशि दी। नगर परिषद के दावे पर कागजों में एक बार तो शहर को ओडीएफ घोषित कर दिया गया। लेकिन लोगों ने राशि लेकर भी शौचालय नहीं बनवाए। ऐसे में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर को मिला ओडीएफ का दर्जा वापिस छिन गया।

शौचालय के लिए मिली राशि को किसी लाभार्थी ने दूध वाले को चुका दी तो किसी ने साबुन-तेल व घर की जरूरत के सामान पर खर्च कर दी। मिशन के तहत पड़ताल में यह सच सामने आया कि शहर के चार हजार लोगों को शौचालय बनाने के लिए प्रथम किश्त के रूप में 4,000 रुपए दिए गए। इनमें से मात्र दो हजार लोगों ने ही शौचालय बनाए।

सेहत से खिलवाड़ तो जिम्मेदार भरेगा जुर्माना

प्रदेश में लाए जाने वाले राइट टू हेल्थ कानून में आमजन की सेहत के प्रति गंभीरता नहीं बरतने वाले महकमें और जिम्मेदार सरकारी एजेंसियां भी दायरे में आएगी। इसमें आमजन 'रहे हमेशा स्वस्थ' की नीति पर काम किया जा रहा है। प्रदूषण फैलाने सहित मच्छरों को पनपने और उनके बढ़ने को रोकने में नाकाम विभागों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

मॉनिटरिंग और नियंत्रण में फेल रहने पर ऐसे विभागों पर कानून में जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया जाएगा। इसी प्रकार स्वच्छ जल की आपूर्ति, ड्रेनेज व सीवरेज सिस्टम, चिकित्सा, स्थानीय निकाय, परिवहन विभाग, यातायात पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण मंडल को भी जिम्मेदार बनाया जाएगा।

सरकारी कर्मचारी बन गए गरीब किसान

प्रदेश में फसली ऋण माफी योजना के तहत 50 हजार रुपए की ऋण माफी का लाभ लेने के लिए झूठा शपथ पत्र देकर करीब आठ हजार से भी ज्यादा सरकारी कर्मचारियों ने गरीब किसान बनकर आवेदन कर दिया। जबकि ऋण माफी अधिसूचना में साफ लिखा था कि सरकारी कर्मचारी पात्र नहीं होंगे।

पहले तो बैंकों ने इनका ऋण माफ भी कर दिया लेकिन आधार मिलान से पोल खुल गई और उनकी कर्जमाफी निरस्त की गई। बैंक कर्मचारी सतर्क नहीं होते तो सरकार को 21 करोड़ 76 लाख रुपए का नुकसान होता। खास बात यह है कि अभी भी कई कर्मचारियों ने फर्जी तरीके से लिए गए ऋण को वापिस नहीं किया है। अब ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सुई-धागे से बुनी नई बुनियाद और...

बाड़मेर जिले के रावतसर गांव की रूमा देवी आठवीं तक पढ़ी लिखी है। शादी के बाद बच्चा हुआ, उपचार के लिए पैसे नहीं थे... बच्चे को बचा नहीं पाई। तभी रूमा देवी ने तय कर लिया कि वह घर की चारदीवारी और घूंघट से बाहर निकलेगी और संघर्ष करेगी। दादी से सीखा सुई-धागे के कशीदे का हुनर उसके काम आया और इस हुनर को उसने अपनी जिंदगी बना लिया।

इस हुनर से खर्च चलने लगा तो उसने गांव की हजारों जरूरतमंद महिलाओं को भी अपने साथ जोड़ा और स्वयं सहायता समूह बनाया। वह गांवों में कशीदाकारी से महिलाओं को रोजगार देने लगी। कड़ी मेहनत और कारीगरी के बल पर राजस्थानी वेश-भूषा में रूमा ने देश ही नहीं विदेशों तक ख्याति प्राप्त की।

मार्च 2019 को रूमा देवी को राष्ट्रपति ने नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया। इसके बाद 20 सितंबर को रूमा देवी 'कौन बनेगा करोड़पति' में हॉट सीट पर अभिताभ बच्चन के सामने थी जहां उन्हें कर्मवीर पुरस्कार दिया गया।

आवास योजना में लगी करोड़ों की चपत

प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में चयनित सात हजार से भी ज्यादा लोग सरकार को करीब 24 करोड़ रुपए की चपत लगा गए। पहले इन लाभार्थियों ने आवासहीन होने की दुहाई देकर पहली किश्त के रूप में 30 हजार रुपए की राशि सरकार से ले ली। लेकिन मकान नहीं बनाए।

केंद्र ने अधूरे आवासों पर जानकारी मांगी तो ग्रामीण विकास महकमे ने पड़ताल कराई तो इसमें 7882 आवासों में गड़बड़ी उजागर हुई। केंद्र को रिपोर्ट में सरकार ने इसे राशि के दुरुपयोग की श्रेणी में डाल कर यह मान लिया कि अब इन आवासों का पूरा होना संभव नहीं है। यह आवास 2016-17 से 2018-19 के बीच स्वीकृत किए गए थे।

स्वास्थ्य एवं पोषण सुधार में धौलपुर अव्वल

नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य एवं पोषण सुधार सहित पांच मानदंडों की रैंकिंग में राजस्थान का धौलपुर जिला देशभर के 112 जिलों में अव्वल रहा है। बारां और सिरोही भी शीर्ष दस में शामिल रहे। सुधार वाले जिलों में जैसलमेर व करौली को 31 वां स्थान मिला है। नीति आयोग द्वारा जिलों को पांच मापदंडों स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय एवं स्किल डवलपमेंट और आधारभूत ढांचा पर परखा गया है।

क्या आप जानते हैं?

विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निवारण के लिए राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने 'विद्युत लोकपाल' कार्यालय की स्थापना की है। उपभोक्ता निवारण सह समझौता मंच (फोरम) के निर्णय से असंतुष्ट होने की अवस्था में या फिर समय पर निदान न होने पर, उपभोक्ता निर्णय सुनाने की निर्धारित तिथि के नब्बे दिनों के अंदर विद्युत लोकपाल को अपील कर सकते हैं। उपभोक्ता बिना किसी अधिवक्ता के लोकपाल कार्यालय में सुनवाई करवा सकते हैं। यदि उपभोक्ता ने फोरम के समक्ष 'स्टे एप्लीकेशन' किया है जो समय पर निस्तारित नहीं किया या ठुकराया गया, ऐसे मामलों में भी सात दिन के अंदर 'स्टे एप्लीकेशन' का दुबारा आवेदन विद्युत लोकपाल के समक्ष किया जा सकता है।

उपभोक्ताओं को विद्युत लोकपाल के समक्ष कार्यवाही के दौरान सबसे ज्यादा सहूलियत इस बात से मिलती है कि वो अपना पक्ष ईमेल या फिर पत्राचार के माध्यम से घर बैठें रख सकते हैं। हालांकि उपभोक्ता विद्युत लोकपाल कार्यालय में कम से कम एक फोरम में शिकायत दर्ज करने के बाद ही संपर्क कर सकता है। विद्युत लोकपाल कार्यालय का पता नीचे दिया गया है:

जी.आर. चौधरी, विद्युत लोकपाल राजस्थान, विद्युत विनियामक भवन, स्टेट मोटर गैराज के पास, सहकार मार्ग, जयपुर-302001 (राजस्थान) • फोनः 0141-2740843, मोबाइलः +91 941400405
ईमेलः rajombudsman@yahoo.in, वेबसाइटः http://www.rerc.rajasthan.gov.in/

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर